

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या—मु0स्था0—15/2013...../प0व0ज0व0, पटना—15, दिनांक—.....

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-4 के तहत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—3597, दिनांक—16.08.2022 द्वारा गठित आन्तरिक परिवाद समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है:—

1	श्रीमती पूनम कुमारी, उप सचिव,	—	अध्यक्ष
2	श्रीमती निवेदिता राय, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तत्कालीन अपर सचिव, कृषि विभाग	—	बाह्य सदस्य
3	श्री चितरंजन शर्मा, अवर सचिव	—	सदस्य
4	श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0 मैनेजर	—	सदस्य
5	श्रीमती ममता कुमारी, उच्चवर्गीय लिपिक	—	सदस्य

2. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—3597, दिनांक 16.08.2022 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
(पूनम कुमारी)
सरकार के उप सचिव

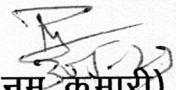
ज्ञापांक—मु0स्था0—15/2013...../प0व0ज0व0, पटना—15, दिनांक—.....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(पूनम कुमारी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—मु0स्था0—15/2013.....1954...../प0व0ज0व0, पटना—15, दिनांक—30.05.23

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सदस्य/सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)
सरकार के उप सचिव